

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, कासगंज के अन्तर्गत मथुरा से बरेली मार्ग (एन०एच०-530बी) किमी० 66.000 से किमी० 123.100 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 12.4681 है० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1044(L.H.S) & 915(R.H.S) कुल 1959 वृक्षों एवं 21888 पौधों के पातन हेतु प्रयोक्ता एजेंसी (एन०एच०ए०आई०) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3 /2012-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना जो कि ईको क्लास एवं वनस्पति के घनत्व के आधार की गयी है, को जमा करने के लिये वाध्य होगा।

ईको क्लास- III (Open Forest)

वनस्पति का घनत्व- 0.3

एन०पी०वी० की गणना- प्रभावित वन भूमि $(12.4681) \times 9,57,780 = 1,19,41,697.00$ (रुपये एक करोड़
उन्नीस लाख इकतालीस हजार छः सौ
सतानवे मात्र)



(दिलीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।